(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1984 के 'जनशक्ति' के नगर संस्करण में "कोएल कारो परियोजना सरकारी क्षमता का शिकार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन" ने इस परियोजना को छोड़ देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ङ) यदि इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी तो उपरोक्त परियोजना की कार्यान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार इसे कब तक पूरा करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने कोएल कारो परियोजना को छोड़ देने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए अनुरोध नहीं किया है । परियोजना कार्मिकों को परियोजना स्थल तक पहुंचने देने में स्थानीय व्यक्तियों के विरोध के कारण परियोजनाओं की संरचनाओं का कार्य धीमा रहा है । राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को परियोजना कार्यों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना 8 वर्ष में पूरी किए जाने का कार्यक्रम है ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की क्रियान्विति

1544. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 नुक्तों की देश के क, ख और (ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित उनके मंत्रालय, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा (3) की क्रियान्विति के प्रतिशतता का क्षेत्रवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मदों सम्बन्धी कार्य को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाई है; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में दिए गए अधिकांश कागजात ऊर्जा मंत्रालय में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं । लेकिन ऐसे कागजात के जारी होने का राज्य-वार और कार्यालय-वार रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते । उपर्युक्त धारा 3(3) के प्रावधानों का पालन करने और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं । इस संबंध में हुई प्रगति की समय-समय पर जांच की जाती है ।

Request of Gujarat State to Increase Royalty on Oil and Gas

1545. **SARI AMARSINH RATHAWA** : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :